प्रेस विज्ञप्ति

25.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन (ओएम) ग्रुप ऑफ चैरिटीज में अनियमितताओं के संबंध में 21.06.2024 और 22.06.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद और उसके आसपास के 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन ग्रुप ऑफ चैरिटीज और अन्य के खिलाफ लगभग 1.5 करोड़ रुपये की बड़ी राशि जुटाने के लिए तेलंगाना सीआईडी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ओ.एम. समूह ने विदेशी दाताओं (ऑपरेशन मोबिलाइजेशन और दलित फ्रीडम नेटवर्क के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, आयरलैंड, मलेशिया, नॉर्वे, ब्राजील, चेक गणराज्य, फ्रांस, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में स्थित) से 300 करोड़ रुपये दलित और वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन उपलब्ध कराने के नाम पर एकत्र किए, जो उनके द्वारा चलाए जा रहे 100 से अधिक गुड शेफर्ड स्कूलों में पढ़ रहे थे, और उक्त धन को संपत्ति निर्माण और अन्य अनधिकृत उद्देश्यों के लिए विपथित (डायवर्ट) किया।

सीआईडी जांच में पता चला है कि छात्रों के प्रायोजन के तथ्य को दबाते हुए, छात्रों से प्रति माह 1,000 से 1,500 रुपये तक की ट्यूशन और अन्य फीस एकत्र की गई और पर्याप्त धनराशि को सावधि जमा में डाल दिया गया और/या ओ.एम. समूह की अन्य संबंधित संस्थाओं में डायवर्ट कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सरकार से भी धन प्राप्त ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि समूह की अधिकांश संस्थाओं के एफसीआरए पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया था और इसे दरकिनार करने के लिए, एफसीआरए पंजीकृत 'ओएम बुक्स फाउंडेशन' में प्राप्त विदेशी धन को अन्य समूह संस्थाओं में ऋण के रूप में भेज दिया गया था, जिसे अभी तक चुकाया नहीं गया है।

पीएमएलए जांच में यह भी पता चला है कि ऑपरेशन मोबिलाइजेशन समूह के पदाधिकारी गोवा में गठित फर्जी संस्थाओं के साथ सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और वेतन प्राप्त कर रहे थे। ओएम ग्रुप ऑफ चैरिटीज के प्रमुख पदाधिकारियों और मुख्यालय के परिसरों की तलाशी में अपराध संकेतिक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, गुप्त लेनदेन के रिकॉर्ड और बेनामी कंपनियों की बरामदगी और जब्ती हुई है। इसके अलावा, ओएम ग्रुप ऑफ चैरिटीज के प्रमुख पदाधिकारियों की कई संपत्तियां, जिनके अपराध की आय से अर्जित होने का संदेह है, का पता चला है।

आगे की जांच जारी है।